टीएचडीसीआईएल के बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार तथा नैतिकता संहिता

1.0 **परिचय**

1.1 इस संहिता को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (जिसे यहां इसके पश्चात "कंपनी" कहा गया है) के "बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार तथा नैतिकता संहिता" कहा जाएगा।

1.2 इस संहिता का प्रयोजन कंपनी के कार्यों का प्रबंधन करने में नैतिक तथा पारदर्शी प्रक्रिया में वर्धन करना है।

1.3 बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए इस संहिता का निरूपण विशिष्ट रूप से यथा प्रयोज्य स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीयन करार के खंड 49 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

1.4 यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2.0 **<u>परिभाषाएं तथा व्याख्याएं</u>**

2.1 "बोर्ड सदस्य" शब्द का अर्थ है कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक।

2.2 "पूर्ण कालिक निदेशक" या प्रकार्यात्मक निदेशक शब्द का अर्थ कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक से है जो कंपनी के पूर्ण कालिक नियोजन में हैं।

2.3 "अंश कालिक निदेशक" शब्द का अर्थ है कंपनी के निदेशक मंडल में वे सदस्य जो कंपनी के पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं।

2.4 "संबंधी" का वही अर्थ होगा जैसाकि कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित है।

2.5 "वरिष्ठ प्रबंधक" शब्द का अर्थ कंपनी के वे कार्मिक हैं जो इस कोर प्रबंधन दल के सदस्य हैं जिनमे निदेशक मंडल शामिल नहीं है तथा इसमें सभी प्रकार्यात्मक प्रमुखों सहित पूर्ण कालिक निदेशकों से एक स्तर नीचे के प्रबंधन वर्ग के सभी सदस्य शामिल होंगे।

2.6 'कंपनी' शब्द का अर्थ है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी का नाम)

<u>टिप्पणी :-</u> इस संहिता में पुर्लिंग के द्योतक शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द तथा एक वचन शब्दों में बहुवचन शब्द अथवा विलोमत: शामिल होंगे।

3.0 **प्रयोज्यता**

3.1 यह संहिता निम्न कार्मिकों पर प्रयोज्य होगी :-

क) कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित सभी पूर्ण कालिक निदेशकों पर

ख) कानून के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी अंशकालिक निदेशकों पर

ग) वरिष्ठ प्रबंधन पर

3.2 पूर्ण कालिक निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधनों को कंपनी की अन्य प्रयोज्य / प्रयोज्य की जाने वाली नीतियों, नियमों तथा प्रक्रियाविधियों का अनुपालन करना जारी रखना चाहिए।

4.0 **<u>संहिता की विषय सूची</u>**

1.5 भाग 1 : सामान्य नैतिक अनिवार्य अपेक्षाएं
1.6 भाग 2 : विशिष्ट व्यावसायिक (पेशेवर) उत्तरदायित्व
भाग 3 : बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

यह संहिता पेशेवर (व्यावसायिक) कार्य के आचरण में नैतिक निर्णयन के लिए आधार के रूप में कार्य करने के लिए आशयित है। यह पेशेवर (व्यावसायिक) नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायत के गुण-दोष का अधिनिर्णयन करने के लिए आधार के रूप में भी कार्य करेगी।

यह समझा जाता है कि नैतिकता तथा आचार संहिता दस्तावेज में कुछ शब्दों तथा मुहावरों की भिन्न-भिन्न व्याख्याएं हो सकती है। किसी विवाद के मामले में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

भाग-1

5.0 सामान्य नैतिक अनिवार्य अपेक्षाएं

5.1 समाज तथा मानव कल्याण में योगदान करना

5.3.1 सभी लोगों के जीवन स्तर से संबंधित यह सिद्धांत मौलिक मानव अधिकारों का संरक्षण करने तथा सभी संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करने के दायित्व को पुष्ट करता है। हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे प्रयासों के उत्पादों का प्रयोग सामाजिक रूप से उत्तरदायी तरीके से हो, वह सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता हो तथा अन्यों के स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए नुकसानदेह प्रभावों से बचे। एक सुरक्षित सामाजिक माहौल के अतिरिक्त, मानव कल्याण में एक सुरक्षित प्राकृतिक माहौल शामिल है।

5.3.2 अत: सभी बोर्ड सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधक जो कंपनी के उत्पादों के अभिकल्प, विकास विनिर्माण तथा संवर्धन के लिए जवाबदेह हैं, मानव जीवन तथा पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए कानूनी तथा नैतिक, दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहने चाहिए तथा अन्यों को सजग करना चाहिए।

5.2 ईमानदार तथा विश्वासपात्र बनें तथा सत्यनिष्ठा का आचरण करें।

5.3.1 सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी विश्वास के अनिवार्य संघटक हैं। विश्वास के बिना कोई भी संगठन प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता।

5.3.2 सभी बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधकों से यह आशा की जाती है कि वे लोक उद्यम कारोबार का संचालन करते समय वैयक्तिक तथा पेशेवर (व्यावसायिक) सत्य निष्ठा, ईमानदारी तथा नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के अनुसार कार्य करें।

5.3 निष्पक्ष रहें तथा भेदभाव न करने के लिए कार्रवाई करें।

5.3.1 अन्यों के लिए समानता, सहिष्णुता, सम्मान का मान तथा समान न्याय के सिद्धांत इस अनिवार्य अपेक्षा को शासित करते हैं। प्रजाति, लिंग, धर्म, जाति, आयु, अपंगता, राष्ट्रीय उत्पत्ति या अन्य ऐसे कारकों के आधार पर भेदभाव करना इस संहिता का सुस्पष्ट उल्लंघन है।

5.4 गोपनीयता का सम्मान करें

5.4.1 ईमानदारी का सिद्धांत सूचना की गोपनीयता के मसलों तक विस्तारित है। नैतिक सरोकार सभी पणधारकों की गोपनीयता के सभी दायित्वों का सम्मान करना है जब तक कि कानून या इस संहिता के अन्य सिद्धांतों की अपेक्षाओं द्वारा ऐसे दायित्वों से मुक्त न हों।

5.4.2 अत: सभी बोर्ड सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कारोबार तथा कार्य कलापों के बारे में समस्त गोपनीय अप्रकाशित सूचनाओं की गोपनीयता को बनाए रखेंगे।

5.5 शपथ तथा व्यवहार

5.5.1 क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा तथा पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयास करना।

5.5.2 जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सतत् तथा अथक कार्य करना।

5.5.3 कंपनी के विकास तथा प्रतिष्ठा के लिए सतर्क रहना तथा कार्य करना।

5.5.4 संगठन को गौरवान्वित करना तथा कंपनी के पणधारकों के लिए मूल्याधारित सेवाएं उपलब्ध कराना।

5.5.5 सजगता से ड्यूटी करना तथा किसी डर या पक्षपात के बिना ड्यूटी करना।

भाग 2

6.0 विशिष्ट पेशेवर (व्यावसायिक) उत्तरदायित्व

6.1 प्रत्येक दिन सीपीएसई की अभिदृष्टि, मिशन तथा मान्यताओं को जीवंत रखना

प्रत्येक दिन टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की अभिदृष्टि, मिशन तथा मूल्यों को जीवंत रखें। तुरंत संदर्भ हेतु ये निम्नानुसार हैं:-

हमारी अभिदृष्टि

- विद्युत क्षेत्र में एक बड़ी विश्वस्तरीय भूमिका, पर्यावरणीय, पारिस्थितिकीय तथा सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण, समर्थपूर्ण तथा धारणीय विद्युत उपलब्ध कराना।
- व्यवसायिकीकरण तथा उत्कृष्टता की उपलब्धि के द्वारा विकास की कार्य संस्कृति सृजित करना ।

हमारा मिशन

- कमीशनिंग की अवधारणा से जल विद्युत तथा अन्य ऊर्जा संसाधनों की योजना बनाना, उन्नतीकरण करना, विकास करना तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखते हुए बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए विद्युत स्टेशनों का परिचालन करना, जिससे राष्ट्रीय समृद्धता में वृद्वि हो सके।
- मानवीय दृष्टि से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सहित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को स्वीकार करना ।
- गत्यात्मक परिवर्तित व्यापारिक परिवेश में चुनौतियों का सामना करना तथा वैश्विक बेंचमार्क निर्धारित करना।
- पारस्परिक लाभ एवं उन्नति के लिए अंशधारकों से धारणीय और मूल्य आधारित संबंध बनाना ।
- संगठनात्मक ज्ञान एवं आपसी विश्वास के परिवेश में समर्पित कार्यबल को प्रोत्साहित करते हुए उत्कृष्ट निष्पादन प्राप्त करना।

<u>मान्यताएं</u>

- उत्कृष्टता हेतु जोश तथा परिवर्तन हेतु उत्साह
- सभी मामलों में निष्ठा तथा निष्पक्षता
- प्रत्येक कर्मचारी की गरिमा एवं क्षमता का आदर करना
- वचनबद्धता का सख्ती से अनुपालन
- प्रत्युत्तर शीघ्र देना सुनिश्चित करना
- सीखने, सृजनात्मकता एवं टीम कार्य हेतु प्रोत्साहित करना
- सीपीएसई में वफादारी एवं गर्व करना।

6.2 व्यावसायिक कार्य की प्रक्रियाओं तथा उत्पादों दोनों में उच्चतम गुणवत्ता प्रभावात्मकता तथा गरिमा की प्राप्ति के लिए प्रयास करना :

उत्कृष्टता संभवत: किसी भी पेशेवर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है। अत: हरेक को अपने व्यावसायिक कार्य में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावात्मकता तथा गरिमा हासिल करने का प्रयास करना चाहिए।

6.3 व्यावसायिक सक्षमता अर्जित करना तथा बनाए रखना :

उत्कृष्टता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो व्यावसायिक सक्षमता अर्जित तथा कायम रखने का दायित्व ग्रहण करते हैं। अत: सभी से यह आशा की जाती है कि वे सक्षमता के समुचित स्तरों के लिए मानक स्थापित करने में भाग लें तथा उन मानकों को हासिल करने का प्रयास करें।

6.4 कानूनों का अनुपालन :

सीपीएसई के बोर्ड सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन विद्यमान स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सभी प्रयोज्य प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। वे सीपीएसई के कारोबार से जुड़ी नीतियों, प्रक्रिया-विधियों, नियमों तथा विनियमों का भी अनुसरण करेंगे तथा उनका अनुपालन करेंगे।

6.5 समुचित व्यावसायिक समीक्षा को स्वीकार करना तथा उपलब्ध कराना

गुणात्मक व्यावसायिक कार्य व्यावसायिक समीक्षा तथा टिप्पणियों पर निर्भर करता है। जब भी समुचित हो, व्यक्तिगत सदस्य सहकर्मी की समीक्षा प्राप्त करेंगे तथा उसका प्रयोग करेंगे और साथ ही अपने कार्य की आलोचनात्मक समीक्षा उपलब्ध कराएंगे।

6.6 कामकाजी जीवन की गुणवत्ता का वर्धन करने के लिए कार्मिकों तथा संसाधनों का प्रबंधन करना

संगठन के नेता यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि सहयोगी कर्मचारियों के लिए एक अनुकूल कामकाजी तथा व्यवसायिक माहौल का सृजन हो ताकि वे सर्वोत्तम कार्य कर सकें।

बोर्ड सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन सभी कर्मचारियों की मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे, वे सीपीएसई के कर्मचारियों को सभी आवश्यक सहायता तथा सहयोग उपलब्ध करा के व्यवसायिक विकास को प्रोत्साहित तथा समर्थित करेंगे जिससे उनके कामकाज की गुणवत्ता बढ़ेगी।

6.7 ईमानदार होना तथा किन्हीं प्रलोभनों का परिहार करना

बोर्ड सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पारिवारिक तथा अन्य संबंधियों के माध्यम से कंपनी से संबंधित लेनदेनों से उठने वाले किसी वैयक्तिक शुल्क, कमीशन या किसी रूप में पारिश्रमिक की मांग नहीं करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण मूल्यों के उपहार या अन्य लाभ शामिल हैं जो संगठन के लिए व्यवसाय को प्रभावित करने तथा किसी अभिकरण को संविदा प्रदान करने इत्यादि के लिए कई मौकों पर दिए जा सकते हैं।

6.8 कारपोरेट अनुशासन का अनुपालन करें

सीपीएसई के अंतर्गत संप्रेषण करने की सख्ती नहीं है तथा लोग सभी स्तरों पर स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि निर्णयन प्रक्रिया में मतों का मुक्त विनिमय (आदान प्रदान) होता है किंतु चर्चा के एक बार समाप्त पूर्ण होने के पश्चात तथा नीतिगत सर्व सम्मति बन जाने के पश्चात सभी से आशा की जाती है कि वे उसका अनुसरण तथा अनुपालन करें चाहे कतिपय मामलों में वे व्यक्तिगत रूप से उसके साथ सहमत न हो। कुछ मामलों

में, नीतियां कार्रवाई के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं, अन्यों में उनका निर्माण कार्रवाई को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया है। सभी को अंतर को पहचानना तथा यह मान करना सीखना चाहिए कि उनके लिए उनका अनुपालन करना क्यों आवश्यक है।

6.9 ऐसा आचरण करे जो कंपनी की साख को प्रतिबिंबित करें

सभी से आशा की जाती है कि वे ड्यूटी पर रहने के दौरान तथा ड्यूटी पर न होने के दौरान भी ऐसे तरीके से आचरण करें कि कंपनी का साख बढ़े। उनके संपूर्ण वैयक्तिक रवैया तथा व्यवहार का कंपनी की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है तथा उस तरीके पर प्रभाव पड़ता है जिसके लिए इसे संगठन के भीतर तथा कुल मिलाकर जनता द्वारा जाना जाता है।

6.10 कंपनी के पणधारकों के प्रति जवाबदेह रहें

हम जिन के लिए कार्य करते हैं चाहे वे हमारे ग्राहक हैं जिनके बिना कंपनी का कारोबार नहीं चलेगा, शेयर धारक हैं जिनका इसके व्यवसाय में महत्वपूर्ण हिस्सा है, कर्मचारी, जिनका यह सब करवाने में विहित हित है, विक्रेता, जो कंपनी को समय पर अपेक्षित कार्य करने में सहायता करते है तथा समाज हो जिसके प्रति कंपनी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है, ये सभी कंपनी के पणधारक हैं। अत: सभी को सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि वे कंपनी के पणधारकों के प्रति उत्तरदायी हैं।

6.11 भेदिया कारोबार की रोकथाम

बोर्ड सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार करते समय भेदिया कारोबार की रोकथाम के लिए आंतरिक प्रक्रिया-विधियों तथा आचरण संहिता का अनुपालन करेंगे।

6.12 व्यवसाय जोखिमों को अभिज्ञात करें, उन्हें उपशमित एवं प्रबंधित करें।

यह हर किसी का उत्तरदायित्व है कि वह कंपनी के कार्य या प्रचालन क्षेत्र के आस-पास कार्य व्यवसायिक जोखिमों को अभिज्ञात करने के लिए कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे का अनुसरण करें तथा ऐसे जोखिमों का प्रबंधन करने की कंपनी में व्याप्त प्रक्रिया में सहायता करें ताकि कंपनी अपने व्यापक व्यवसायिक उद्देश्यों को हासिल कर सके।

6.13 कंपनी की सम्पत्तियों की संरक्षा करें

बोर्ड सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों की सूचना तथा बौद्धिक अधिकारों की संरक्षा करेंगे तथा उनका प्रयोग वैयक्तिक लाभ के लिए नहीं करेंगे।

भाग-3

7.0 बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

7.1 बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में :

वे बोर्ड तथा समितियों, जिनके लिए वे कार्य करते हैं, की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेने की वचन बद्धता करेंगे।

7.2 बोर्ड सदस्यों के रूप में

7.2.1 वे अपने अन्य बोर्ड पदों, अन्य व्यवसायों के साथ संबंध तथा अन्य घटनाओं / परिस्थितियों / स्थितियों में किन्ही परिवर्तनों, जो बोर्ड / बोर्ड समिति के कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी क्षमता को बाधित कर सकते हैं या बोर्ड के इस अधिनिर्णय को प्रभावित कर सकते हैं कि क्या वे स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीयन करार की स्वतंत्र अपेक्षाओं को तथा लोक उद्यम ब्यूरो के मार्ग निर्देशों को पूरा करते हैं, की सूचना कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कंपनी सचिव को देने की वचनबद्धता करेंगे।

7.2.2 वे यह वचनबद्धता करेंगे कि बोर्ड के हित न रखने वाले सदस्यों के पूर्वानुमोदन के बिना वे हित के प्रत्यक्ष टकराव का त्याग करेंगे। हित टकराव हो सकता है जब उनका कोई वैयक्तिक हित हो जिसका कंपनी के हित के साथ टकराव संभव हो सकता है। उदाहरण स्वरूप निम्न हो सकते हैं :-

- **संबंधित पक्ष लेनेदन :-** कंपनी या इसकी अनुषंगी कंपनियों, जिनमें उनका वित्तीय या अन्य वैयक्तिक हित है, के साथ कोई लेनदेन करना या संबंध बनाना (प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: जैसे परिवार के किसी सदस्य या संबंधी या अन्य व्यक्ति अथवा अन्य संगठन जिसके साथ वे संबद्ध है, के माध्यम से)
- **बाहय निदेशक पद :-** किसी अन्य कंपनी के बोर्ड का निदेशक पद स्वीकार करना जो कंपनी के कारोबार में प्रतिस्पर्धी है।
- **परामर्श / कारोबार / रोज़गार :-** किसी ऐसे क्रियाकलाप में रत होना (चाहे वह परामर्शी सेवा के स्वरूप का हो, कारोबार संचालन का हो, रोजगार स्वीकार करने का हो) जिससे उनके कंपनी के प्रति कर्तव्य / उत्तरदायित्व बाधित होने या उनमें टकराव होने की संभावना है। वे कंपनी के किसी आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक या ग्राहक के साथ किसी अन्य तरीके से संबद्ध नहीं होंगे या निवेश नहीं करेंगे।
- **वैयक्तिक लाभों के लिए शासकीय स्थिति का प्रयोग :-** वे वैयक्तिक लाभों के लिए अपने शासकीय पद का प्रयोग नहीं करेंगे।

7.3 कारोबार आचार तथा नैतिकता संहिता का अनुपालन

7.3.1 बोर्ड के सभी सदस्य तथा कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इस संहिता के सिद्धांतों को कायम रखेंगे तथा संवर्धन करेंगे।

संगठन का भविष्य तकनीकी तथा नैतिक उत्कृष्टता, दोनों पर निर्भर करता है। बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए न केवल इस संहिता में अभिव्यक्त सिद्धांतों का अनुपालन करना आवश्यक है, उनमें से प्रत्येक को अन्यों को अनुपालन हेतु प्रोत्साहित तथा सहयोग करना चाहिए।

7.3.2 इस संहिता के उल्लंघनों को संगठन के साथ असंगत संबद्धता के रूप में मानना

नैतिकता संहिता का पेशेवरों द्वारा अनुपालन अधिकांशत: तथा सामान्यत: एक स्वैच्छिक मामला है। तथापि यदि बोर्ड का कोई सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन इस संहिता का अनुपालन न करें तो मामले की समीक्षा बोर्ड द्वारा की जाएगी तथा इसका निर्णय अंतिम होगा। कंपनी को चूककर्ता के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

7.4 विविध मसले

7.4.1 संहिता का निरंतर अद्‌यतनीकरण

यह संहिता कानून में परिवर्तनों, कंपनी के दर्शन, अभिदृष्टि, व्यवसाय योजनाओं में या अन्यथा बदलाव के अनुसार सतत्‌ समीक्षा तथा अद्‌यतनीकरण के अध्यधीन है जो बोर्ड आवश्यक समझे तथा ऐसे सभी आशोधन / संशोधन उनमें कथित तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होंगे।

7.4.2 स्पष्टीकरण कहां से प्राप्त करें

इस आचार संहिता के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखने वाला बोर्ड का कोई सदस्य या वरिष्ठ प्रबंधन, निदेशक (कार्मिक) / कंपनी सचिव / निदेशक मंडल द्‌वारा विशिष्ट रूप से नामोदिष्ट किसी अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

प्राधिकार : कारपोरेट कार्मिक परिपत्र संख्या 19 / 2008 दिनांक : 29.12.2008

बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार एवं नैतिकता संहिता की प्राप्ति की अभिस्वीकृति

मुझे टीएचडीसी इंडिया लि. के बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार एवं नैतिकता संहिता प्राप्त हो गई है तथा मैनें उसे पढ़ लिया है।

मैने उक्त कारोबार आचार तथा नैतिकता संहिता में सन्निहित मानकों तथा नीतियों को समझ लिया है तथा मैं समझता हूं कि मेरे कार्य के लिए अतिरिक्त नीतियां या विशिष्ट कानून हो सकते हैं। मैं आगे कारोबार आचार तथा नैतिकता की उक्त संहिता का अनुपालन करने के लिए सहमत हूं।

यदि मुझे उक्त कारोबार आचार तथा नैतिकता संहिता के अर्थ या अनुप्रयोग के संबंध में, सीपीएस की किन्हीं नीतियों या मेरे कार्य के लिए प्रयोज्य कानूनी तथा विनियामक अपेक्षाओं के बारे में कुछ पूछना हो तो मैं जानता हूं कि मैं टीएचडीसीआईएल के निदेशक (कार्मिक) या कंपनी सचिव के साथ यह जानते हुए परामर्श कर सकता हूं कि मेरे प्रश्नों या रिपोर्टो को गुप्त रखा जाएगा।

आगे मैं प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अंत से 30 दिन के भीतर कंपनी को वार्षिक आधार पर निम्न प्रतिज्ञान उपलब्ध कराने का वचन देता हूं।

प्रतिज्ञान

(कंपनी के बोर्ड सदस्यों / वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक वार्षिक आधार पर)

मैं.....................(नाम)...........................(पदनाम) बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार एवं नैतिकता संहिता पढ़ने तथा समझने के पश्चात एतदद्वारा प्रतिज्ञान करता हूं कि मैंने 31 मार्च .... को समाप्त वर्ष के दौरान संहिता का अनुपालन किया है तथा इसके किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है।

हस्ताक्षर..नाम...

पदनाम..............................

स्थान : कर्मचारी संख्या : ....

दिनांक : दूरभाष संख्या : ....